डिकी मुकदमा इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उप जिला कलक्टर टोडाभीम
पीठासीन अधिकारीः– दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस

उनवान

1. हसंराम पुत्र हरवीर गूर्जर निवासी नयागाव तहसील टोडाभीम जिला करौली।
(वादी)

बनाम

1. गिर्राज पुत्र शिचरण गूर्जर
2. श्री पुत्र शिवचरण गूर्जर
3. गजराज पुत्र गिर्राज गूर्जर
4. अनूप पुत्र गिर्राज गूर्जर
5. सुगरसिंह पुत्र श्री गूर्जर
6. लक्ष्मण पुत्र भयराम गूर्जर
7. रवि पुत्र अनूप गूर्जर
8. सुरेन्द्र सिंह पुत्र अनूप गूर्जर
9. अनिल पुत्र सुगर सिंह

समस्त जातियान गूर्जर निवासीयान नयागाव तहसील टोडाभीम जिला करौली।
(प्रतिवादीगण)

दावा बावत स्थायी निषेधाज्ञा

मु0न0 131/2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट मिनकानिब गुदई रूबरू श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है। कि

अतः दावा वादी बखिलाफ प्रतिवादीगण बावत स्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

निज.....................मुबलिंग............................बाबत..........................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.....................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.............. अदा करे।

बसब्त मेरे दरतखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 15.10.2020 को जारी की गई।

दस्तखत
(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
ओहदा जिला–करौली

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			वावत इजराय हुक्मनामा		
ववत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0– 131/2016 तारीख रजु– 09.12.2016

पीठासीन अधिकारी– दुर्गा प्रसाद मीणा आर.ए.एस

उपखण्ड

1. हरसहाय पुत्र हरवीर गुर्जर निवासी नयागांव तहसील टोडाभीम जिला करौली।

(वादी)

बनाम

1. गिर्राज पुत्र शिवचरण गुर्जर
2. श्री पुत्र शिवचरण गुर्जर
3. भजनलाल पुत्र गिर्राज गुर्जर
4. अनूप पुत्र गिर्राज गुर्जर
5. सुमरसिंह पुत्र श्री गुर्जर
6. लक्ष्मण पुत्र भगवान गुर्जर
7. रवि पुत्र अनूप गुर्जर
8. सुरेन्द्र सिंह पुत्र अनूप गुर्जर
9. अनिल पुत्र सुमर सिंह

समस्त जातियान गुर्जर निवासीयान नयागांव तहसील टोडाभीम जिला करौली।

(प्रतिवादीगण)

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति– श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट (वादी)

श्री रामखिलाडी गुप्ता एडवोकेट (प्रतिवादी)

निर्णय दिनांक– 15.10.2020

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम नयागांव स्थित आराजी ख0न0 1140 रकबा 0.09 है0 मे वादी का हिस्सा 1/2 तथा 1/2 हिस्सा दाताराम पुत्र बनेसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। दाताराम पुत्र बनेसिंह फौत हो चुका है। उसकी वारिस भी समुन्दर पत्नि हरसहाय ही है। इसलिये समुन्दर द्वारा अपने नाम खातेदारी मे 1/2 हिस्से का विक्रयपत्र वादी के पक्ष मे पंजीबद्व करवादिया जिसका नामांतकरण भी खुल चुका है। तथा रेवन्यू रिकार्ड मे अमल भी हो चुका है। तथा 1/2 हिस्से का इकरारनामा भी वादी के पक्ष मे लिखा जा चुका है। जब भी उसके नाम खातेदारी मे आवेगा। वह वादी के हक मे विक्रयपत्र पंजीबद्व करवा देगी उक्त ख0न0 1140 रकबा 0.09 है0 ग्राम नयागांव से वादी के अलावा प्रतिवादीगण या अन्य किसी भी व्यक्ति का कोई संबध किसी भी प्रकार का आज दिन तक नही रहा है। और नाही आज है। प्रतिवादीगण लठैत व गिरोहबंद राजनैतिक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है।

मौका दिनांक 06.11.2016 को सुबह करीब 9 बजे का है। कि वादी अपनी आराजी मे क्यारी बना रहा था कि प्रतिवादीगण एक राय होकर हाथो मे लाठी डण्डा ले–लेकर आये तथा कहने लगे कि तुम यहा से चले जाओ इस आराजी पर हम काश्त करेगे। इस पर वादी द्वारा उन्हे समझाया कि भाईयो मैने तो जमीन पैसे देकर खरीदी है। तुम खरीद लेते इस पर प्रतिवादी गिर्राज बोला कि हम तो उक्त आराजी को सस्ते दामो मे खरीद रहे थे तुमने तो लाखो मे खरीदा है। तो हमे क्यो देती इसलिये हम तुम्हे काश्त नही करने देगे तथा हम ही काश्त करेगे। इसलिये यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

दावा वादी बखिलाफ प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा का डिक्री फरमाया जाकर आराजी ख0न0 1140 रकबा 0.09 है0 ग्राम नयागांव मे वादी के कब्जेकाश्त मे व्यवधान नही करने हेतु प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

(दुर्गा प्रसाद मीणा)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला–करौली

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट ने उपस्थित होकर जबाव प्रस्तुत किया कि आराजी ख0न0 1140 रकवा 0.09 है0 ग्राम नयागाव के हिस्सा 1/2 की खातेदारी पूर्व मे दाताराम की पुत्री मुकेश के नाम वादी ने मुकेशी पुत्री दाताराम को पक्षकार नही बनाया है। दाताराम से हिस्सा 1/2 काफी समय पूर्व खरीद कर लिया था। प्रतिवादीगण हिस्सा 1/2 काविज है। दावा वादी खारिज फरमाया जावे।

निम्न प्रकार तनकीयात कायम की गईः–

1. आया आराजी ख0न0 1140 रकवा 0.09 है0 ग्राम नयागाव मे वादी हिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार है तथा 1/2 हिससे की खातेदारी दाताराम पुत्र बनेसिंह के नाम दर्ज है। दाताराम फौत हो चुका है। उसके वारिस समुन्दर पत्नि हरसहाय ने 1/2 हिस्से को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से वादी को विक्रय कर दिया, नामांतकरण भी खुल चुका है। उक्त आराजी पर काबिज एवं दखील है। प्रतिवादीगण का इससे कोई संबध किसी प्रकार से नही है। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है।

(जिम्मेवादी)

2. आया विवादित आराजीयात के 1/2 हिस्से के खातेदार दाताराम की पुत्री मुकेश खातेदार काश्तकार है। इन्हे पक्षकार नही बनाया है। 1/2 हिस्से की भूमि प्रतिवादीगण ने दाताराम से काफी समय पूर्व खरीद लिया था। मौके पर प्रतिवादीगण का कब्जा है। दावा वादी खारिज योग्य है।

(जिम्मे प्रतिवादीगण)

वादी की और से वादपत्र के समर्थन मे शपथ पत्र पेश किया। प्रतिवादीगण की और से जबाब दावा के समर्थन मे कोई भी साक्ष्य पेश नही किया है।

वादी वकील ने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को ही अपनी बहस मे दोहराते हुये दावा डिकी करने का कथन किया। वकील प्रतिवादी ने जबाब दावे मे वर्णित तथ्यो को अपनी बहस मे दोहराते हुये कथन किया कि वादी का विवादित आराजीयात के हिस्सा 1/2 मे कब्जा नही है। इसलिये वादी का दावा खारिज फरमाया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस पर मनन करते हुये पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे शामिल नकल जमाबन्दी सम्वत 2070–73 के ख0न0 1140 रकवा 0.09 है0 मे हिस्सा 1/2 की खातेदारी हंसराम पुत्र हरवीर सिंह गूर्जर के नाम तथा 1/2 हिस्से की खातेदारी दाताराम पुत्र बनेसिह गूर्जर के नाम दर्ज है। जबकि वादी ने दावा बावत स्थायी निषेधाज्ञा उक्त खसरा नम्बर की समस्त रकवे को लेकर पेश किया है। वादपत्र के समर्थन मे किसी प्रकार का ठोस एव पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। प्रतिवादीगण द्वारा भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किये है। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नही किये जाने के कारण तनकीवार निर्णय करने की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। साक्ष्य सबूत के अभाव मे दावा वादी बावत स्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाना उचित पाता हूँ।

अतः दावा वादी बखिलाफ प्रतिवादीगण बावत स्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 15.10.2020 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला-करौली

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम (करौली) राज०

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण ौर से रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट ने उपस्थित होकर जबाब प्रस्तुत किया कि आराजी ख0न0 रकवा 0.09 है0 ग्राम नयागाव के हिस्सा 1/2 की खातेदारी पूर्व मे दाताराम की पुत्री मुकेश ाम वादी ने मुकेशी पुत्री दाताराम को पक्षकार नही बनाया है। दाताराम से हिस्सा 1/2 काफी पूर्व खरीद कर लिया था। प्रतिवादीगण हिस्सा 1/2 काबिज है। दावा वादी खारिज फरमाया ।

निम्न प्रकार तनकीयात कायम की गई:—

1. आया आराजी ख0न0 1140 रकवा 0.09 है0 ग्राम नयागाव मे वादी हिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार है तथा 1/2 हिससे की खातेदारी दाताराम पुत्र बनेसिंह के नाम दर्ज है। दाताराम फौत हो चुका है। उसके वारिस समुन्दर पत्नि हरसहाय ने 1/2 हिस्से को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से वादी को विक्रय कर दिया, नामांतकरण भी खुल चुका है। उक्त आराजी पर काबिज एवं दखील है। प्रतिवादीगण का इससे कोई संबध किसी प्रकार से नही है। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है।

(जिम्मेवादी)

2. आया विवादित आराजीयात के 1/2 हिस्से के खातेदार दाताराम की पुत्री मुकेश खातेदार काश्तकार है। इन्हे पक्षकार नही बनाया है। 1/2 हिस्से की भूमि प्रतिवादीगण ने दाताराम से काफी समय पूर्व खरीद लिया था। मौके पर प्रतिवादीगण का कब्जा है। दावा वादी खारिज योग्य है।

(जिम्मे प्रतिवादीगण)

वादी की और से वादपत्र के समर्थन मे शपथ पत्र पेश किया। प्रतिवादीगण की और से ाब दावा के समर्थन मे कोई भी साक्ष्य पेश नही किया है।

वादी वकील ने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को ही अपनी बहस मे दोहराते हुये दावा डिक्री ने का कथन किया। वकील प्रतिवादी ने जबाब दावे मे वर्णित तथ्यो को अपनी बहस मे दोहराते । कथन किया कि वादी का विवादित आराजीयात के हिस्सा 1/2 मे कब्जा नही है। इसलिये दी का दावा खारिज फरमाया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस पर मनन करते हुये पत्रावली का अवलोकन या गया। पत्रावली मे शामिल नकल जमाबन्दी सम्वत 2070—73 के ख0न0 1140 रकवा 0.09 है0 हिस्सा 1/2 की खातेदारी हंसराम पुत्र हरवीर सिंह गूर्जर के नाम तथा 1/2 हिस्से की खातेदारी ाताराम पुत्र बनेसिह गूर्जर के नाम दर्ज है। जबकि वादी ने दावा बावत स्थायी निषेधाज्ञा उक्त सरा नम्बर की समस्त रकवे को लेकर पेश किया है। वादपत्र के समर्थन मे किसी प्रकार का ठोस पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। प्रतिवादीगण द्वारा भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किये है। वादी प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नही किये जाने के कारण तनकीवार निर्णय करने की वश्यकता प्रतीत नही होती है। साक्ष्य सबूत के अभाव मे दावा वादी बावत स्थायी निषेधाज्ञा खारिज या जाना उचित पाता हूँ।

अतः दावा वादी बखिलाफ प्रतिवादीगण बावत स्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 15.10.2020 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला करौली

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी / उप जिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली) राज०